निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–10/2021
दायरा दिनांक :– 27.1.2021
निर्णय दिनांक :– 30.6.23

उनवान

कोमल प्रसाद पुत्र श्री मदन मोहन जाति महाजन निवासी झालरिया कुंआ के पास, राजपुरा वार्ड, बा

बनाम

1. रामबिलास पुत्र श्री दौलतराम जाति धाकड़ निवासी आमापुरा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. संजय पुत्र श्री दौलतराम जाति धाकड़ निवासी आमापुरा तहसील बारां जिला बारां राज0
3. कौशल पुत्र श्री दौलतराम जाति धाकड़ निवासी आमापुरा तहसील बारां जिला बारां राज0
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां तहसील बारां जिला बारां राज0

दावा अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर0 टी0 एक्ट एवं
धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 30.6.23

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री बाबूलाल जैन एड0– वादी
2. श्री दुल्ले सिंह एड0– प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वादी अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर0 टी0 एक्ट ए
111 व 128 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश कि
कि ग्राम आमापुरा तहसील बारां में खसरा नं0 245 रकबा 0.07 हे0 भूमियां स्थित है, जो
कागजात में वादी के नाम बतौर कृषक दर्ज है, इस भूमि के उत्तरी आरे खसरा नं0 711/
लगवा खसरा नं0 245 की उत्तरी तरफ की व 711/245 के दक्षिणी तरफ 120'×65' भूमि मुख्
पर 120 फीट व पूरब से पश्चिम 65 फीट कुल 7800 वर्गफीट भूमि ही विवादित है, जिसे वा
साथ पेश किये गये भू–नक्शा में लाल स्याही से ABCD के रूप में दिखाया गया है तथा यह भू–
विवादित है, जिसे प्रस्तुत वाद में आगे विवादित भू–पट्टी के नाम के नाम से सम्बोधित किया
है। वादी इस विवादित भू–पट्टी का खातेदार कृषक है, इसलिए उसे इस भू–पट्टी से सम्ब
पेश करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वादी की विवादग्रस्त भूमि व भू–पट्टी से लगवा उत्तर
खसरा नं0 711/245 भूमि स्थित है जो प्रति... अपनी बताते है, किन्तु वे अपनी भूमि के
वादी की भूमि पर जबरन कब्जा ... के लिए उन्होने वादी की खसरा नं0
ABCD भू–पट्टी पर दिनांक 10.01.2021 को ... खोदना शुरू कर दिया और वादी के कहने
माने एवं यह कहा कि यह तो हमारी भूमि है। इस प्रकार उन्होने वादी ... सीमा सम्बन्धी विवाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:55:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

दिया तथा उसके ABCD भू–पट्टी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। वादी अपने भू–भाग पर शान्तिपूर्ण ढंग से काबिज है, उसने प्रतिवदी क्रम 04 से कई बार निवेदन किया कि वे उसके भूखण्ड खसरा नं0 245 का सीमाज्ञान व पैमाईश करवा देवें। किन्तु उन्होंने यह कहकर कि यह भूमि नगर पालिका क्षेत्र में आ चुकी है, इसलिए न्यायालय में कार्यवाही करो मैं कोई सीमाज्ञान नहीं करवाउंगा। अस्तु प्रतिवादी क्रम 4 को पक्षकार बनाना पड़ रहा है। वादी शांतिपूर्ण ढंग से अपने स्वामित्व की भूमि पर काबिज है, किन्तु प्रतिवादीगण जबरन ABCD भू–पट्टी पर नींवे खोदकर कब्जा करना चाहते यदि उन्होंने वादी की ABCD भू–पट्टी पर कब्जा कर लिया तो वादी को मुकदमें बाजी में उलझना पड़ेगा एवं उसको अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति मुद्रा में किसी भी तरह संभव नहीं होगी। अतऐव वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी नहीं करवा पाने के अधिकारी एवं नालिशी है। वाद कारण दिनांक 10.01.2021 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के विवादित ABCD भू–पट्टी पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने के फलस्वरूप ग्राम आमापुरा तहसील बारां में उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की ओर से नकल दावा पेश नहीं होने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम आमापुरा सम्वत् 2072–75 खाता सं0 41, नकल नक्शा ट्रेस किया गया। साक्ष्य वादी में कोमल प्रसाद के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम आमापुरा में स्थित है जो वादी के खातेदारी में दर्ज है। इस भूमि के उत्तरी तरफ खसरा नं0 711/245 के लगवां खसरा नं0 245 की उत्तरी तरफ की711/245 के दक्षिणी तरफ 120'×65' भूमि मुख्य सडक पर 120 फीट व पूरब से पश्चिम 65 फीट कुल 7800 वर्गफीट भूमि ही विवादित है, वादी इस विवादित भू–पट्टी का खातेदार कृषक है। वादी की भूमि के लगवां उत्तर की ओर खसरा नं0 711/245 भूमि स्थित है जो प्रतिवादी अपनी बताते है। प्रतिवादी अपनी भूमि के अलावा वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है, वादी से प्रतिवादी द्वारा सीमा सम्बन्धि विवाद उत्पन्न कर दिया तथा उसके खाते की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे है। प्रतिवादी द्वारा सीमाज्ञान करवाने से साफ इंकार कर दिया गया। प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे एवं वादी की भूमि का सीमाज्ञान करवाया ज़ावे।

बहस अभिभाषक वादी की सुनी गई, पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम आमापुरा सम्वत् 2072–75 खाता सं0 41 के अनुसार खसरा नं0 245 रकबा 0.07 हे0 भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इससे यह साबित होता है, कि वादी विवादित भूमि का खातेदार कृषक है। वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण कब्जा करना चाहते है, इसलिए वादी अपने खातेदारी एवं कब्जे की भूमि की पैमाईश कराना चाहते हैं और प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाना चाहते है जिससे प्रतिवादी उसकी भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:55:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

...वादी द्वारा न्यायालय में उप0 होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया इससे भी यह साबित होता है, कि प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम आमापुरा तहसील बारां के खसरा नं0 245 रकबा 0.07 हे0 भूमि की पैमाईश करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिए जाते है, वक्त पैमाईश यदि वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावें। तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है, वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें। तदनुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी, बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:55:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

...संख्या 20/2021	अन्तर्गत 183,188 आर टी एक्ट 111,128 एल आर एक्ट	निर्णय दिनांकः– 30·6·23
...क्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः–श्री बाबूलाल जैन एड0– वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः– श्री दुल्ले सिंह एड0– प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

डनवान

कोमल प्रसाद पुत्र श्री मदन मोहन जाति महाजन निवासी झालरिया कुंआ के पास, राजपुरा वार्ड, बारां

बनाम

1. रामबिलास पुत्र श्री दौलतराम जाति धाकड़ निवासी आमापुरा तहसील बारां जिला बारां राज0
2. संजय पुत्र श्री दौलतराम जाति धाकड़ निवासी आमापुरा तहसील बारां जिला बारां राज0
3. कौशल पुत्र श्री दौलतराम जाति धाकड़ निवासी आमापुरा तहसील बारां जिला बारां राज0
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां तहसील बारां जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम आमापुरा तहसील बारां के खसरा नं0 245 रकबा 0.07 हे0 भूमि की पैमाईश करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिए जाते है, वक्त पैमाईश यदि वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जाता है तो प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावें। तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है, वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करें।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30·6·23 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:55:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner